तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27.05.2019	अपीलाण्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा एक अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) के विरूद्ध अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के कारण न्यायालय में पेश की। अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) को भेजते हुऐ अपील में अंकित तथ्यों के सम्बंध में टिप्पणी चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.04.2019 को टिप्पणी भेजते हुए प्रतिलिपी अपीलाण्ट को उपलब्ध कराई। अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की मौखिक बहस सुनी गई अपीलाण्ट ने अपनी मौखिक बहस के द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) पर विभिन्न तरह के आरोप लगाये है। तथा पटवारी की शिकायत की गई है। पटवारी के द्वारा पैमाइश नहीं करने के सम्बन्ध में पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सूचना बहस के दौरान कथन किया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाण्ट को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 2 हेतु जो सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है वही सूचना लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध करा सकता है। जो सूचना काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। इनकी सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में **प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी कर कार्यवाही की जा रही है, जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलाण्ट द्वारा बिन्दू संख्या 2 पर सूचना	

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

चाही गई है वह काल्पनिक है। **प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व मौखिक बहस में यही तथ्य उभरकर सामने आये है कि अपीलाण्ट द्वारा पटवारी शिकायत की है तथा आरोप प्रत्यारोपित किये है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह सही है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावें।

स्नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर